न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –442 / 2025

अनवान : –

1. रणजीत पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रोहिताश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ओम देवी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सीमा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. ज्याना पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. बमला पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. चरणसिंह पुत्र अनुसूईया पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. केवीसिंह पुत्र अनुसूईया पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. जगदीश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
9. महावीर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 611 / 580 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 14.7330 है0 भूमि में से 97 / 4911 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के पिता मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज है व 97 / 4911 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 के पिता मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी संख्या 1 के पिता काशीराम पुत्र चन्दुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिस लिछमा देवी (पत्नी) व ओमदेवी, सीमा, ज्याना, बिमला, रणजीत व अनुसूईया पि0 काशीराम हुए जिसमें से अनुसूईया पुत्री काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस चरण सिंह व केपीसिंह है एवं वादी संख्या 2 के पिता आदराम पुत्र चन्दूराम का स्वर्गवास हो चुका है व इनकी पत्नी मैना देवी पत्नी आदराम का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस जगदीश, महावीर, रोहिताश पि0 आदराम हुए जिनको वाद में प्रतिवादी कायम किया हुआ है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का पैदायशी हक हिस्सा है एवं मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का पैदायशी हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 वादी संख्या 1 की मृतक बहिन अनुसूईया के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चयाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्यिों के समक्ष अपने पुत्र/भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मृतक काशीराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 अकेला काबिज है व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 जो कि वादी संख्या 2 के सगे भाई है जिन्होने अपनी हकरसी अन्य भूमि में प्राप्त कर ली है तथा वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष वादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 अकेला काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण आदराम व काशीराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी संख्या 1 के पिता काशीराम पुत्र चन्दुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिस लिछमा देवी (पत्नी) व ओमदेवी, सीमा, ज्याना, बिमला, रणजीत व अनुसूईया पि0 काशीराम हुए जिसमें से अनुसूईया पुत्री काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस चरण सिंह व केपीसिंह है एवं वादी संख्या 2 के पिता आदराम पुत्र चन्दूराम का स्वर्गवास हो चुका है व इनकी पत्नी मैना देवी पत्नी आदराम का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस जगदीश, महावीर, रोहिताश पि0 आदराम हुए जिनको वाद में प्रतिवादी कायम किया हुआ है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का पैदायशी हक हिस्सा है एवं मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का पैदायशी हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 वादी संख्या 1 की मृतक बहिन अनुसूईया के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चयाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्यिों के समक्ष अपने पुत्र/भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मृतक काशीराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 अकेला काबिज है व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 जो कि वादी संख्या 2 के सगे भाई है जिन्होने अपनी हकरसी अन्य भूमि में प्राप्त कर ली है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष वादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 अकेला काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 611/580 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 14.7330 है0 भूमि में से 97/4911 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के पिता मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज है व 97/4911 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 के पिता मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी संख्या 1 के पिता काशीराम पुत्र चन्दुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिस लिछमा देवी (पत्नी) व ओमदेवी, सीमा, ज्याना, बिमला, रणजीत व अनुसूईया पि0 काशीराम हुए जिसमें से अनुसूईया पुत्री काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस चरण सिंह व केपीसिंह है एवं वादी संख्या 2 के पिता आदराम पुत्र चन्दूराम का स्वर्गवास हो चुका है व इनकी पत्नी मैना देवी पत्नी आदराम का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस जगदीश, महावीर, रोहिताश पि0 आदराम हुए जिनको वाद में प्रतिवादी कायम किया हुआ है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का पैदायशी हक हिस्सा है एवं मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का पैदायशी हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 1 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 वादी संख्या 1 की मृतक बहिन अनुसूईया के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चयाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्यिों के समक्ष अपने पुत्र/भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मृतक काशीराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 अकेला काबिज है व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 जो कि वादी संख्या 2 के सगे भाई है जिन्होने अपनी हकरसी अन्य भूमि में प्राप्त कर ली है तथा वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष वादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 अकेला काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक आदराम व काशीराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 611/580 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 14.7330 है0 भूमि में से 97/4911 हिस्सा भूमि में मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 97/4911 हिस्सा भूमि में मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....03/06/26.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –442/2025

अनवान : –

1. रणजीत पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रोहिताश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. लिछमा देवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ओम देवी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सीमा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. ज्याना पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. बमला पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. चरणसिंह पुत्र अनुसूईया पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. केवीसिंह पुत्र अनुसूईया पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. जगदीश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
9. महावीर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 879 सन 2025 निर्णय दिनांक 03/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 611/580 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 14.7330 है0 भूमि में से 97/4911 हिस्सा भूमि में मृतक काशीराम पुत्र चन्दुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 97/4911 हिस्सा भूमि में मृतक आदराम पुत्र चन्दूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....03/06/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर